


क्रमांक : मु.ऑ./2019/.....88

दिनांक : .....06/9/19

**आवश्यक सूचना**

संस्था में नियमित रूप से अध्ययनरत वे सभी छात्र-छात्रायें जो पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना एवं मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना में पात्रता रखते हैं और वे अपनी आयु 18 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं, वे छात्र/छात्रायें उक्त योजना के अंतर्गत (सत्र 2019-20) में आवेदन करते समय स्वयं का मूल निवासी आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना सुनिश्चित करें ताकि छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त हो सके।

अतः जो छात्र/छात्रायें आवेदन पत्र के साथ अपने माता-पिता का मूल निवासी प्रमाण-पत्र संलग्न करते हैं और कारणवश उनकी छात्रवृत्ति/शिष्यावृत्ति नहीं आती है तो जिम्मेदारी स्वयं छात्र/छात्रा की होगी।

  
(इंजी. शैलेन्द्र सिंह भदौरिया)  
प्रशासनिक अधिकारी  
12-03-2019

प्रतिलिपि –

1. आयुक्त, आदिवासी विकास कार्यालय, शारदा विहार, सिटीसेंटर, ग्वालियर।
2. सहायक आयुक्त, अन्य पिछड़ा वर्ग कार्यालय, गोरखी, ग्वालियर।
3. प्राचार्य, डॉ. भीमराव अम्बेडकर कॉलेज, ग्वालियर।
4. समस्त विभागाध्यक्षों की ओर सूचनार्थ।
5. समस्त नोटिस बोर्ड।
6. वेब मैनेजर की ओर पोर्टल पर सूचना अपलोड करने हेतु।
7. आई.एम.एस. ऑफिस।
8. निदेशक कार्यालय।
9. रजिस्ट्रार कार्यालय।
10. संबंधित फाईल